

# न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. २४/२०१०

निर्णय दिनांक २५/११/२०१०

उनवान:- हलका वगड परमान

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हलका परमान ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर ५४२ रकबा ०-१० किस्म चाणनी

बारे ग्राम काउरुडा पर परमान पुत्र कलौरे

जाति लोधा निवासी काउरुडा तहसील बाड़ी

ने सम्बर २०२५ रबी/खरीफ में फसल हलका कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी आया

पटवारी हलका ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी परमान पुत्र कलौरे

जाति लोधा निवासी काउरुडा को आ. ख. नं. ५४२

रकबा ०-१० बारे ग्राम काउरुडा से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि ११३/१०० (अक्षरे

२९पेय २५००) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हलका एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। TRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक २५/११/२०१० को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

113- का अंकन  
 तहसीलदार  
 बाड़ी (धौलपुर) राज  
 २५/११/१०